डिजिटल लेन-देन करने पर पथ विक्रेताओं को मिलेगा कैशबैक

नगर आयुक्त और डूडा पीडी ने विक्रेताओं को किया जागरूक

संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) अतुल पाठक ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त पथ विक्रेताओं को डिजिटल माध्यम से ग्राहकों से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

इसके तहत सोमवार को नगर आयुक्त और डूडा परियोजना निदेशक फास्ट फूड, चाट, चाय, फल विक्रेता आदि के स्टॉल पर जाकर उन्हें डिजिटल लेन-देन के लाभ से अवगत कराया। साथ ही पथ विक्रेताओं से लेकर खाए गए फास्ट फूड आदि का डिजिटल भुगतान भी किया गया।

अधिकारियों ने पथ विक्रेताओं को बताया कि एक माह में किसी भी मूल्य के 50 लेन-देन डिजिटल माध्यम से करने पर प्रति लेन-देन एक रुपये, अगले 50 डिजिटल लेन-देन करने पर प्रति लेनदेन 50 पैसे तथा इसके बाद 100 डिजिटल लेन-देन करने पर प्रति लेनदेन 25 पैसे का कैश बैक मिलेगा।

गांधी भवन में शिविर का निरीक्षण करते नगर आयुक्त संतोष शर्मा। संवाद

इस प्रकार एक माह में दो सौ डिजिटल लेन-देन करने पर सौ रुपये तक कैशबैक उन्हें मिल सकता है। इस प्रकार पथ विक्रेताओं को स्वनिधि ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि की अदायगी में ब्याज की धनराशि के लगभग बराबर धनराशि कैश बैक के रूप में प्राप्त हो जाएगी।

नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि शासन की मंशा है कि पका हुआ खाने का सामान विक्रय करने वाले पथ विक्रेता अपना सामान ई-कॉमर्स प्लेटफार्म जैसे स्वीगी, जोमेटो आदि के माध्यम से होम डिलीवरी कराएं। इससे उनके रोजगार में वृद्धि होगी। इसके पंजीकरण में डूडा सहयोग करेगा। डिजिटल माध्यम से लेन-देन के लिए सोमवार से 30 अप्रैल तक प्रदेश के समस्त नगर निगम व नगर पालिका परिषद में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत सोमवार को गांधी भवन, टाउन हॉल में 'स्वनिधि से समृद्धि' के अंतर्गत विशेष कैम्प का आयोजन किया गया।

प्रथम किश्त के लिए 24 आवेदन, द्वितीय किश्त के छह आवेदन, 14 ऋण स्वीकृत एवं 22 ऋण का वितरण पथ विक्रेताओं को किया गया। स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त पथ विक्रेताओं में जिनके पास क्यूआर कोड नहीं है, उन्हें संबंधित बैंकों की ओर से क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जाएंगे।